पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 24/2018

अनवान :

1. उम्मेदसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
3. सरोजना पत्नी जुगलाल जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
4. चन्द्रवती } पुत्रियां जुगलाल जाति जाट निवासीगण
5. कमलेश } गांव गढीछानी तहसील भादरा।
6. कृष्णा }

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ जिला कलेक्टर हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के सम भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विनोद कारेला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के मु0नं0 62 के किला नं0 11, 12, 19, 20, 21, 22 मु0नं0 63 के किला नं0 12 ता 25 मु0नं0 64 के किला नं0 16, 17, 24, 25 मु0नं0 84 के किला नं0 4 ता 6, मु0नं0 85 के किला नं0 1, 2, 9, 10, मु0नं0 99 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0 100 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25 कुल 10.626 है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता व पति जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है में से जुगलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार कृषि भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

18.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 24/2018

अनवान :

1. उम्मेदसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
3. सरोजना पत्नी जुगलाल जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
4. चन्द्रवती
5. कमलेश
6. कृष्णा

} पुत्रियां जुगलाल जाति जाट निवासीगण गांव गढीछानी तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ जिला कलेक्टर हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद कारेला : **वादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 18.07.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के मु0नं0 62 के किला नं0 11, 12, 19, 20, 21, 22 मु0नं0 63 के किला नं0 12 ता 25 मु0नं0 64 के किला नं0 16, 17, 24, 25 मु0नं0 84 के किला नं0 4 ता 6, मु0नं0 85 के किला नं0 1, 2, 9, 10, मु0नं0 99 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0 100 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25 कुल 10.626 है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता व पति जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादीगण के पिता/पति जुगलाल के प्राकृतिक पिता का नाम नानुराम था तथा जुगलाल बचपन में ही मनसुख के जरिऐ रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 15.01.1958 को गोद चला गया था। इस प्रकार तनसुख जुगलाल का दत्तक पिता था। अब वादीगण के पिता/पति जुगलाल का देहान्त हो गया है। परन्तु उपरवर्णित उक्त खातेदारी वादीगण के पिता/पति जुगलाल की वल्दीयत तनसुख की बजाय प्राकृतिक पिता नानुराम दर्ज है। वादीगण के पिता/पति जुगलाल की मृत्यु होने पर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में जुगलाल की वल्दीयत तनसुख दर्ज है। इस प्रकार वादीगण के पिता/पति जुगलाल की वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में प्राकृतिक पिता नानुराम होने एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में दत्तक पिता तनसुख दर्ज होने के चलते उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल वादीगण के नाम से दर्ज नहीं किया जा रहा है। जबकि उक्त भूमि के अलावा चक 10 जेएसएल तहसील भादरा के खाता सं0 66/67 व चक 7 जेएसएल तहसील भादरा के खाता सं0 32/29 में स्थित भूमि का विरासतन इन्तकाल वादीगण के नाम से दर्ज किया जा चुका है। जुगलाल वल्द तनसुख व जुगलाल वल्द नानुराम एक ही व्यक्ति के नाम है। जुगलाल के दत्तक

10.7.19

चले जाने के चलते रिकार्ड में उनकी वल्दीयत प्राकृतिक पिता व दत्तक पिता के हिसाब से भिन्न भिन्न दर्ज हो गई थी।

वादीगण के पिता/पति जुगलाल के आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनकी वल्दीयत दत्तक पिता तनसुख की ही है। इस प्रकार उक्त वादभूमि का प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के नाम से इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार वादीगण अपने पिता/पति जुगलाल के नाम दर्ज चक 6 जेएसएल तहसील भादरा में वर्णित उक्त खातेदारी का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश कर कथन किया कि वादीगण ने अपनी उक्त खातेदारी का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत आवश्यक दस्तावेज कभी पेश ही नहीं किये थे जिसके चलते उक्त वादभूमि का इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सका था। आवश्यक दस्तावेज पेश किये जाने के उपरान्त कभी किसी का इन्तकाल बिना किसी कारण के नहीं रोका जाता है। वादीगण न्यायालय से किसी प्रकार की कोई घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकी कायम की गई।

1. आया वादीगण चक 6 जेएसएल के खाता सं0 52/50 सम्वत् 2069–72 की वादभूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने के अधिकारी है ?

— वादीगण

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 उम्मेदसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जेएसएल के खाता सं0 52/50 सम्वत् 2069–72 प्रदर्श 1, चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10 जेएसएल के खाता सं0 66/67 सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 7 जेएसएल के खाता सं0 32/29 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 3 नोटिस बनाम सरकार दिनांक 11.09.2017 प्रदर्श 4, रसीद नोटिस 80सीपीसी प्रदर्श 5, चित्रप्रति खोलानामा प्रदर्श 6ए, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गढीछानी प्रदर्श 7, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 8ए, वारिस प्रमाण पत्र 9, चित्रप्रति राशन कार्ड 10ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 11ए, चित्रप्रति पहचान पत्र प्रदर्श 12ए प्रदर्शित करवाये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण के पिता जुगलाल के नाम भूमि दर्ज है। जुगलाल बचपन में जरिये गोदनामा तनसुख के गोद चला गया था। जुगलाल को देहान्त हो चुका है। जुगलाल के पिता का नाम तनसुख होना चाहिए लेकिन नानुराम ही रह गया। मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम तनसुख दर्ज है। गोदनामा व अन्य दस्तावेजात में भी जुगलाल के पिता का नाम तनसुख दर्ज है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 6 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में एक तनकी कायम की गई है। वादीगण की ओर से अपने दावा की पुष्टि में चित्रप्रति खोलानामा प्रदर्श 6ए प्रदर्शित करवाया है जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है के अवलोकन से स्पष्ट है कि

18.7.19

जुगलाल तनसुख का खोलायत पुत्र था। प्रदर्श 7 में सरपंच ग्राम पंचायत गढीछानी ने जुगलाल पि0मु0 तनसुख होने की पुष्टि की है। प्रदर्श 8ए, 9, 10ए, 11ए, 12ए में जुगलाल पुत्र तनसुख दर्ज है वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि भूमि एकीकरण विभाग चक 6 झांसल सम्वत् 2016 में वाद भूमि जुगलाल के दतक पिता अर्थात वादीगण के दादा तनसुख के नाम दर्ज है, वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चक 10जेएसएल सम्वत् 2073 से 76 में जुगलाल वल्द तनसुख की मृत्युपरांत जरिऐ विरासतन इंतकाल सं0 1012 द्वारा जुगलाल के वारिसान पत्नि सरोजना, पुत्र/पुत्रियां भूपसिंह, चन्द्रवती, कमलेश देवी, कृष्णा, उमेदसिंह के नाम की प्रविष्टि दर्ज। चूंकि जुगलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है की जुगलाल, तनसुख का खोलायत पुत्र था इसलिए जुगलाल की सम्पति में वादीगण का हक हिस्सा विरास्तन बनता है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में एक तनकी कायम की गई थी जो वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के मु0नं0 62 के किला नं0 11, 12, 19, 20, 21, 22 मु0नं0 63 के किला नं0 12 ता 25 मु0नं0 64 के किला नं0 16, 17, 24, 25 मु0नं0 84 के किला नं0 4 ता 6, मु0नं0 85 के किला नं0 1, 2, 9, 10, मु0नं0 99 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0 100 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25 कुल 10.626 है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता व पति जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है में से जुगलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार कृषि भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.03.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़